न्यायालयः– नवम अपर मो.दुर्घ.दावा अधिकरण जिला सतना म.प्र.

क्लेम प्र.क.–67/25

मुस. रचना सिंह एवं अन्य बनाम प्रदीप कुशवाहा एवं अन्य

27.07.2026 आवेदक द्वारा श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा कोई उपस्थित नहीं।

अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अनावेदक क्रमांक 4 के जवाबदावा हेतु नियत है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण ने व्यक्त किया कि वे अपने पक्षकार की ओर से उक्त मामले में समझौता करने के लिए अधिकृत हैं। तदानुसार उभयपक्ष द्वारा समझौता आवेदन प्रस्तुत कर, समझौते में वर्णित शर्तों से सहमत होकर अधिनिर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रश्नाधीन समझौता आवेदन बगैर किसी दबाव या प्रलोभन के प्रस्तुत किया गया है तथा यह आवेदन विधि सम्मत है। परिणामतः समझौता आवेदन के आधार पर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः–

(क) अनावेदक बीमा कंपनी एक माह के अंदर आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में **9,50,000/–(नौ लाख पच्चास हजार रूपये)** का भुगतान करेगा।

(ख) सम्पूर्ण प्रतिकर राशि में से आवेदक क्र. 1 को **50** प्रतिशत राशि प्रदाय की जायेगी तथा आवेदक क्र. 2 एवं 3 को **20–20** प्रतिशत एवं आवेदक क्र. 4 को **10** प्रतिशत राशि प्रदाय की जायेगी।

(ग) उक्त राशि में से आवेदकगण को प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत राशि नगद भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आवेदकगण के नाम से 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की जायेगी, जिस पर त्रैमासिक व्याज उनके बचत खाते में प्रदान किया जायेगा, जिस पर कोई ऋण या अग्रिम, अधिकरण की अनुमति के बगैर स्वीकार नहीं होगा।

(घ) अनावेदक बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि नवम अपर मो.दु.दा. अधिकरण के यूनियन बैंक सतना के खाता क्रं. 355602010419326, आई.एफ.एस.सी. कोड–यू.बी.आई.एन. 0535567 में जमा कर सूचना अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

(ड.) क्षतिपूर्ति की राशि एक माह की अवधि तक अदा नहीं करने पर अवार्ड दिनांक से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी उक्त राशि पर देय होगा।

(इ) उभय पक्ष अपना–अपना खर्च वहन करेंगे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जाये।

SHASHI KANT VERMA

Digitally signed by SHASHI KANT VERMA
Date: 2026.07.27 17:36:27 +0530

सही/–
(शशिकांत वर्मा)
नवम मो.दुर्घ.दा. अधिकरण
सतना (म.प्र.)